

निजी क्षेत्र द्वारा पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत पूँजीगत अनुदान की पात्रता हेतु अभिरुचि आमंत्रण

मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग की पर्यटन नीति (2016) - संशोधित 2019 के अंतर्गत निजी निवेश के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले पर्यटन परियोजनाओं को पूँजीगत अनुदान की पात्रता के संबंध में अभिरुचि पत्र ऑनलाइन आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप **परिशिष्ट-1** में उपलब्ध है।

1. पूँजीगत अनुदान की पात्रता से आशय:- पूँजीगत अनुदान की पात्रता का आशय निजी निवेशक द्वारा निजी भूमि पर स्वयं के व्यय से पर्यटन परियोजना की स्थापना अथवा उन्नयन एवं संचालन एवं ब्रांडेड होटल्स प्रोत्साहन नीति 2019 अंतर्गत सुविधा प्राप्ति से है ।

2. आवेदन कौन कर सकता है :- ऐसी पर्यटन परियोजनाएं, जो प्रदेश में नियोजन (Planning), निर्माणाधीन तथा निर्मित होकर संचालन प्रारंभ करने वाली/ कर चुकी हैं । वे **परिशिष्ट-1** अनुसार आवेदन कर पर्यटन नीति (2016) - संशोधित 2019 की कंडिका 6 अंतर्गत पूँजीगत अनुदान एवं ब्रांडेड होटल्स प्रोत्साहन नीति 2019 की पात्रता संबंधी सैधांतिक पात्रता अनुमोदन हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

3. सैधांतिक पात्रता अनुमोदन से आशय :- सैधांतिक पात्रता अनुमोदन से आशय उस अभिस्वीकृति (Acknowledgement) से है कि आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से दिए गए परियोजना विवरण के आधार पर **परिशिष्ट -2** प्रारूप अनुसार मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा दिया जायेगा ।

4. अनुदान आवेदन :- पर्यटन नीति (2016) - संशोधित 2019 की कंडिका 6 अंतर्गत पूँजीगत अनुदान हेतु पात्र पर्यटन परियोजना के व्यवसायिक संचालन उपरांत पूँजीगत अनुदान स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिस्वीकृति के साथ आवेदन कर सकते हैं । सैधांतिक पात्रता अनुमोदन का आशय पूँजीगत अनुदान स्वीकृति नहीं है ।

5. आवेदन कौन कर सकता है :- स्वमित्वक इकाई के मामले में परियोजना के स्वामी / उनके पॉवर ऑफ अटॉर्नी, संस्थागत इकाई के मामले में इकाई के पार्टनर्स / बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिरुचि पत्र प्राप्त कर सकते हैं ।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट www.tourism.mp.gov.in पर जाकर नीति, पात्रता, आवेदन पत्र, सहपत्र संबंधी जानकारी एवं चयन प्रक्रिया आदि का अध्ययन कर लिया जाये ।
2. आवेदन पत्र मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट में ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है ।
3. आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में पूर्ण जानकारी भरी जाये । जो कॉलम संबंधित न हों वहां वैसा उल्लेख किया जाये । जानकारी के कॉलम में पूर्ण जानकारी ही भरी जाये । जानकारी संलग्न आदि लिखकर कॉलम खाली न छोड़ा जाये । आवेदन हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।
4. आवेदन पत्र के साथ सहपत्रों की चेक लिस्ट में उल्लेखित संबंधित जानकारी आवश्यक रूप से संलग्न की जाये । जानकारी स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित की जाये ।
5. आवेदक यदि इकाई स्वामी नहीं है तो अभिरुचि आवेदन हेतु इकाई द्वारा दिए गए प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जावे तथा हस्ताक्षर में आवेदक द्वारा यह विवरण भी दिया जाये ।
9. अभिस्वीकृति पत्र, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा परिशिष्ट 2 अनुसार पंजीकृत ईमेल आईडी तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जायेगी ।
11. आवेदन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों से दूरभाष पर अथवा ईमेल भेजकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है:-

	नाम	संपर्क	ईमेल
i.	श्री सुरेश झारिया(संयुक्त संचालक)	8989162077	jdip.mptb@mp.gov.in
ii.	श्री बसंत सिंह (प्रबंधक)	8818881951	mgrit1.mptb@mp.gov.in

Expression of Interest

No.

Date:-

To,
 Managing Director,
 Madhya Pradesh Tourism Board,
 6Th floor, Lily Trade Wing, Jehagirabad,
 Bhopal (M.P.)- 652008

Subject :- Expression of Interest to Set Up Tourism Project under the Capital
 Subsidy scheme of Tourism Policy (2016) amended 2019.

Respected Sir,

I resident wants to setup
 a Tourism Project at(location/place) . The details of
 the Project are as under :-

S.no.	Description	Details
1	Name and style of unit	
2	Name of Promoters / Owners / Company with a brief note on the business antecedents: -	
3	Complete postal address of unit with Pin code, mobile number, Email id etc.	
4	Brief Description about Project (About 200 words) 01 attached a separate sheet.	
5	Location of unit with postal address	
6	Project Cost	
	i. Cost of Land	
	ii. Cost on building / other construction	
	iii. Cost of machinery and other components	
	iv. Other fixed assets	
	v. Working capital	
	Total	

S.no.	Description	Details
7	Financial Arrangements	
	i. Loan from Bank / Financial Institution	
	ii. Self / Promoters Contributions	
	iii. Name of Bank / Financial Institution	
8	Proposed Employment	
	i. Supervisory	
	ii. Skilled	
	iii. Un-skilled	
	Total	
9	Expenditure incurred/ Investment made on the project - as on date	
	i. Land and site development	
	ii. Building and Construction	
	iii. Installation of plant / Machinery / Apparatus etc.	
10	Probable date of starting commercial operation	

You are requested to kindly acknowledge the receipt of this EOI and inform us about the eligibility of our project under capital subsidy scheme.

I (name) Son of resident on behalf of as here by declare that the information given above from column no 1 to 10 is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Enclosure:- 1- Brief description about project as per column no 4.

2- Power of attorney / Board resolution / Authorization certificate from company secretary to submit the application.

Seal and Signature
(with Name, Address, Email id and
Contact number of the applicant)

Place :

Date:-

Acknowledgement

Dear Shri ,

We are in receipt of your EOI dated We welcome you to setup the tourism project is mentioned in your EOI. You may claim capital subsidy as per tourism policy (2016) amended 2019 provided that the project fulfils the minimum specification as mentioned in the definition of particular tourism project. To claim incentives, you are required to start the project and commence commercial operation within the validity period of the policy.

This acknowledgement does not lead to any entitlements automatically. Any benefit/ incentive provision under the given policy will be available only on fulfilling all conditions stipulated in the Policy.

Joint Director (IP)
Investment Promotion
Madhya Pradesh Tourism Board